हादसे में महिला सहित तीन लोगों की मौत

निजी बस बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलटी खाई

जयपुर/हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना इलाके के मानकसर में सोमवार सुबह एक निजी बस बाइक को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चौदह यात्री घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। बस में सवार घायल यात्रियों को संगरिया पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। इनमें से 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रैफर किया गया है।

हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक हरी शंकर ने बताया कि यह हादसा सोमवार सुबह तब हुआ जब हनुमानगढ़ से डबवाली की ओर जा रही एक निजी बस एक बाइक से टकरा गई। इस टक्कर के बाद पोल से टकराकर बस बेकाबू होकर पलट गई।

इस हादसे में बाइक सवार नगराना निवासी लखविंदर सिंह (40) और

हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना इलाके के मानकसर में सोमवार सुबह एक निजी बस पलटने के बाद मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई।

बग्गा सिंह (28) की मौके पर ही मौत हो गई। बस पलटने से बस में सवार गंभीर रूप से घायल हनुमानगढ़ टाउन की नई आबादी निवासी महिला कमलदीप कौर (35) ने भी दम तोड़ दिया। वहीं रामपुर (यूपी) निवासी अनवर अली (45), श्रीकरणपुर (वार्ड 9) निवासी (62), सुरेशिया निवासी सुरेंद्र कुमार (45), सुरेशिया निवासी सुखचरण सिंह (29), सुरेशिया निवासी मसान लाल (45), ऐलनाबाद (हरियाणा) निवासी अजय कुमार (24), जंडावाली निवासी महेंद्र सिंह (70), हुडको कॉलोनी निवासी आनंद पांडे (40), कणवाली रावतसर

■ बस में सवार घायल यात्रियों को संगरिया पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया।

निवासी कालूराम (47) (जो वर्तमान में संगरिया में हेड कांस्टेबल हैं) और श्रीगंगानगर की पुष्पा (40) घायल हो गए ।इनमें से तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। एसपी हरी शंकर ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि बाइक सवार युवक नगराना गांव के रहने वाले थे और घटनास्थल के पास एक होटल से निकले थे।पुलिस ने बस को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

'विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये'

जयपुर । ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने निर्देश दिए हैं कि ब्लॉक ऑवर सप्लाई को मेंटेन कर रबी सीजन में कृषि एवं अन्य उपभोक्ताओं को व्यवधान रहित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही सप्लाई की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए मुख्यालय से निचले स्तर तक अधिकारी भेजे जाएं, जो कि ट्रिपिंग वाले ग्रिड सब स्टेशनों तथा फीडर को चिन्हित कर उनमें लोड प्रबंधन की बेहतर प्लानिंग करें। नागर रबी सीजन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाओं की मंगलवार को विद्युत भवन में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान निर्देश दिए कि पीक ऑवर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। साथ ही प्रसारण निगम के स्तर पर भी बढ़े हुए लोड के अनुरूप पावर ट्रांसफार्मर्स की क्षमता वृद्धि के उपाय अभी से कर लिए जाएं। बैठक में प्रमुख शासन सचिव (ऊर्जा) अजिताभ शर्मा ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं तथा आरडीएसएस के अन्तर्गत कृषि एवं गैर कृषि फीडर सेग्रीगेशन कार्य को गति देने के निर्देश दिए। चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने मांग एवं इसके अनुरूप वितरण निगमों द्वारा की जा रही आपूर्ति की जानकारी दी। बैठक में ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक ओम कसेरा तथा उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक देवेन्द्र श्रृंगी ने विद्युत उपलब्धता के बारे में बताया।

तीन दोषियों को कारावास

कोटा । अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के करीब साढ़े पांच वर्ष पुराने मामले में एनडीपीएस न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी के तीन आरोपीयो को दोषी मानते हुए दस-दस वर्ष के कोर कारावास साथ ही 1,00,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 18 जनवरी 2020 को थानाधिकारी थाना कुन्हाड़ी कोटा शहर ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को डिटेन किया, जिसमें तीन जने बैठे हुए थे। कार में पीछे की सीट पर बैठे हुए दोनों शख्सों के बीच में एक काले रंग का बैग रखा हुआ था। पुलिस टीम ने संदेह होने पर बैग की तलाशी ली तो बैग में से अवैध मादक पदार्थ 21 किलो गांजा बरामद किया।

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

दिनांक :- 03/12/2025

ई-निविदा सूचना

निविदा संख्या एवं दिनांक	कार्य का विवरण
F.9(1)41/CC/2022/ 2025-18 Dated 03.12.2025 UBN No. MML2526GLOB00113	कसनाऊ मातासुख लिग्नाइट माइंस गांव-मातासुख तहसील-जायल नागौर में एक 11 / √3 केवी न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर (एनजीआर) की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और परीक्षण (निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित कार्य)। अनुमानित मूल्य (रू.) 10.40 लाख, धरोहर राशि (रू.) – 20,800/-, निविदा राशि- 1180/- अहस्तान्तरणीय जी.एस.टी. सहित। ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क रूपये 500/- का डी.डी. जो कि एम.डी., आर.आई.एस.एल., जयपुर के नाम देय हो।

उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.rsmm.com अथवा www.sppp.rajasthan.gov.in अथवा प्रबंधक (यांत्रिकी-अनुबंध) से उपरोक्त पतें पर सम्पर्क करें।

राज.संवाद/सी/25/15271 — उप महाप्रबन्धक (का.एवं प्रशा.)

OFFICE OF MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN MEDICARE RELIEF SOCIETY SUPER SPECIALITY HOSPITAL, UDAIPUR

No. RMRS/2025-26/630 — Date: 01.12.2025

Notice inviting bid

Bids for various items of subject matters of procurement are invited from interested bidders upto 23.12.2025, 10.00 Am. Other praticulars of the bid may be visited on the procurement portal http://sppp.rajasthan.gov.in of the state.

UBN NO. 1. MCU2526GLRC00307. The approximate value of the procurement is Rs. 20 lac.

UBN NO. 2. MCU2526GLRC00308. The approximate value of the procurement is Rs. 30 lac.

Member Secretary
Rajasthan Medicare Relief Society
SSH, Udaipur

DIPR/C/17962/2025

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन स्वा.अभि.विभाग, वृत प्रतापगढ

E-Mail: secircle.pra.phed@rajasthan.gov.in

क्रमांक- अअ/प्रताप/निविदा/2025-26/2262-2267 — दिनांक-02.12.2025

ई-निविदा सूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सक्षम श्रेणी में मान्यता प्राप्त पंजीकृत संवेदकों से जिला प्रतापगढ के कार्या हेतु ऑनलाईन निविदा सं. 09-10/2025-26 आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित अन्य सभी विस्तृत विवरण मय नियत तिथियों के http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं।

UBN NO. As follows-
NIT-9- PHE2526WSOB09300, NIT-10-PHE2526WSRC09301

(शिवदयाल मीना) अधीक्षण अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
वृत-प्रतापगढ (राज.)

DIPR/C/17987/2025

फैक्ट्री में आग से नुकसान

भीलवाड़ा। सोमवार तडके स्वरूपगंज स्थित रीको ग्रोथ सेंटर की नीता एंटरप्राइजेज गत्ता फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हडकंप मचा दिया। घने धुएं के गुबार ने कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। अल सुबह काम पर मौजूद मजदूरों ने स्थिति बिगड़ती देख तुरंत हमीरगढ थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाप्रभारी सुनील बेड़ा मौके पर पहुंचे और हालात गंभीर देखकर तत्काल अग्निशमन विभाग को बुलाया। दमकल वाहनों ने पहुंचकर करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस व अग्निशमन दल ने समय रहते आग की लपटों को दूसरे शेड तक फैलने से रोका।

आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत

जोधपुर पॉक्सो केस में पीड़िता की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन खारिज

■ पीड़िता ने 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी। इसमें राजस्थान राज्य और आसाराम बापू उर्फ आशुमल को प्रतिवादी बनाया

जोधपुर, (कासं)। सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली 6 महीने की अंतरिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस पामिडिघंटम नरसिम्हा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने जोधपुर पॉक्सो केस में पीड़िता की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दिया।

पीड़िता ने 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी। इसमें राजस्थान राज्य और आसाराम बापू उर्फ आशुमल को प्रतिवादी बनाया गया था। इसे क्रिमिनल लॉ कैटेगरी के तहत बच्चों के खिलाफ अपराध व पॉक्सो एक्ट 2012 की श्रेणी में दर्ज किया गया।

सोमवार को सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आसाराम बापू को जोधपुर केस में राजस्थान हाईकोर्ट से 29 अक्टूबर को 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। उसी दिन पीड़िता की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती देने के लिए एडवोकेट अल्जो के. जोसेफ ने 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एप्लिकेशन दाखिल की थी।

इनमें स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने की अनुमति, राजस्थान हाईकोर्ट के विवादित निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी दाखिल करने के लिए छूट के लिए आवेदन किए गए थे।इसके बाद पीड़िता की ओर से यह स्पेशल लीव पिटीशन दायर होकर 8 दिसंबर को सूचीबद्ध होने से कई दिनों पहले ही आसाराम बापू ने 3 नवंबर को एडवोकेट निशांत बिश्नोई के माध्यम से कैवियट दाखिल कर दी थी, जो 24 नवंबर को इस मामले से लिंक हुई ताकि बिना सुने कोई एकतरफा आदेश न हो सके। आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट में बेल मैटर्स श्रेणी में लिस्ट होकर सुना गया, जहां पीड़िता की ओर से एडवोकेट अल्जो के. जोसेफ और आसाराम बापू के वकील पेश हुए।

दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जाने वाली 6 फ्लाइट कैंसिल

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का शेड्यूल लगातार गड़बड़ाया हुआ है। इंडिगो की आज छह फ्लाइट कैंसिल की गई है। ये फ्लाइट्स दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के लिए जोधपुर से जाने वाली थी। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक जोधपुर से तीन फ्लाइट हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली शहरों से आती है। यहां से वापस इन शहरों के लिए जाती है।

इससे पहले रविवार को भी एयरपोर्ट से चार आने वाली और जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल किया गया था। हालांकि यहां पर शनिवार को एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन नियमित हो गया था।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांक-वि.सं.12/Exam/Inspector(G&B)/RPSC/EP-1/2025-26 — दिनांक- 08.12.2025

आयोग द्वारा कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के लिए राजस्थान कारखाना तथा बायलर्स निरीक्षक और कारखाना निरीक्षक (रसायन) सेवा नियम, 1958 के अन्तर्गत निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स (Inspector of Factories & Boilers) के 12 पदों तथा निरीक्षक, कारखाना (रसायन) (Inspector of Factories (Chemical) के 01 पद पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है। शैक्षणिक योग्यता आवेदन प्रक्रिया व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी उक्त पदां हेतु आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन का अवलोकन करें। उक्त पदों हेतु आयु सीमा, आवेदन अवधि व अन्य विवरण निम्नानुसार है-

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2027 को न्यूनतम 23 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिये।
आवेदन अवधि	दिनांक 14.12.2025 से दिनांक 12.01.2026 रात्रि 12.00 बजे तक
परीक्षा का स्थान व माह	परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जायेगा।

अन्य बिन्दु व सूचना-परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापन एवं संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं.-0145-2635212 एवं 2635200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

DIPR/C/18217/2025 — (रामनिवास मेहता) सचिव

हथियारों के साथ 50 हजार के इनामी सहित दो बदमाश पकड़े

■ तीन पिस्टल व दो कारतूस बरामद

■ क्रेटा कार जब्त, हिस्ट्रीशीटर को मारने के लिए कर रहे थे प्लानिंग

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर कमिश्नरेट की महामंदिर पुलिस ने अवैध हथियारों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उदयपुर के हिस्ट्रीशीटर को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। इसमें एक बदमाश पचास हजार रुपए का इनामी है। आरोपी एक हिस्ट्रीशीटर की मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। आरोपियों के कब्जे से तीन पिस्टल, दो कारतूस और एक क्रेटा कार भी जब्त की गई है। पुलिस अब उनसे हथियारों को लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने बताया कि कमिश्नरेट पुलिस संगठित अपराधियों को चिन्हित करके कार्रवाई कर रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक तत्व यहां घूम रहे हैं। डीसीपी (पूर्व) पीडी नित्या की मॉनिटरिंग में इस सूचना को बीट कांस्टेबल प्रकाश ने डेवलप किया। इसके आधार पर पचास हजार के इनामी बदमाश उदयपुर निवासी हिस्ट्रीशीटर नरेश वाल्मीकि और जैसलमेर निवासी अमन वाल्मीकि को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से तीन पिस्टल और दो कारतूस बरामद हुए। आरोपी नरेश के खिलाफ अलग-अलग थानों में करीब 37 मुकदमे दर्ज है। वहीं अमन के खिलाफ छह मुकदमे दर्ज हैं। इनके खिलाफ 111 की धारा लगाई गई हैं। जो संगठित अपराधियों के खिलाफ लगाई जाती है। दोनों को भदवासिया इलाके से गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी नरेश के खिलाफ उदयपुर पुलिस ने 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी इसके चलते फरार चल रहा था। आरोपी आने वाले समय में उदयपुर के ही हार्डकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश रच रहा था। प्रवीण अंबामाता थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

बिजली के तार गिरने से किसान की मौत

जोधपुर, (कासं)। देचू थाना क्षेत्र के पूनियों की ढाणी गोविंदपुरा गांव में बिजली के तार गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया। यह घटना 11 हजार केवी की बिजली लाइन के जर्जर पोल गिरने के कारण हुई। जानकारी के अनुसार 11 हजार केवी की विद्युत लाइन पर लगे सात जर्जर पोल अचानक गिर गए। इससे 11 केवी के तार पास से गुजर रही एलटी लाइन पर गिरे, जिससे एक ट्रांसफार्मर भी नीचे आ गया। एलटी लाइन में विद्युत आपूर्ति चालू होने के कारण दो किसान इसकी चपेट में आ गए। हादसे में खेताराम मेघवाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, चेनाराम गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे देचू अस्पताल से जोधपुर रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि देचू डिस्कॉम को इन जर्जर बिजली के पोलों के बारे में पहले ही सूचित किया गया था। ग्रामीणों ने चेतावनी दी थी कि ये पोल कभी भी किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन डिस्कॉम के अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

बीकानेर मंडी से हर रोज करीब 40 लाख बोरी मूंगफली गुजरात के व्यापारी खरीद रहे

■ गुजरात में बारिश की वजह से खराबा हुआ

■ यूरोप और थाईलैंड तक होती है सप्लाई

बीकानेर । गुजरात इस बार राजस्थान की मूंगफली मांग रहा है। हालात ये है कि बीकानेर में इस बार मंडी में आई अब तक फसल में से 50 फीसदी मूंगफली गुजरात जा चुकी है। वहीं गुजरात से बीकानेर में होने वाली मूंगफली विदेशों तक में सप्लाई हो रही है। इन सभी कारण गुजरात में इस बार बारिश से हुई फसल खराबा है।

दावा किया जा रहा है कि मूंगफली उत्पादन में बीकानेर ने इस बार गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। इधर, बढ़ती डिमांड से मूंगफली के दाम भी बढ़ गए है। इस बार मूंगफली की फसल बेहतर हुई है। इसका दाना भी अच्छा होने की वजह से डिमांड बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में इस बार 46 लाख टन मूंगफली का उत्पादन होने की संभावना है। मंडियों में भी मूंगफली पहुंच चुकी है लेकिन बारिश की वजह से इस बार गुजरात में इसकी फसल प्रभावित हुई है।

बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से खेतों में काफी पानी भर गया था। जमीन पथरीली होने के कारण वहां पानी फसल के ऊपर ही रहा, जिससे फसल खराब हुआ। ऐसे में इस बार दाना काफी छोटा और गीला निकला। लेकिन, उसकी तुलना में इस बार बीकानेर में गुजरात जैसी फसल हुई है। यहां इस इस बार दाना बड़ा और सूखा है। ऐसे में वहां के प्रोसेसिंग यूनिट और व्यापारियों में राजस्थान में होने वाली मूंगफली की डिमांड में अचानक बढ़ोतरी आई है।

बीकानेर मंडी में रोजाना डेढ़ लाख बोरी पहुंच रही है। कृषि मंडी के अधिकारियों के अनुसार इस बार 2 करोड़ क्विंटल बोरी इस बार बीकानेर की मंडी में आएगी।

गुजरात में इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि रोजाना बीकानेर मंडी से हर रोज करीब 40 लाख बोरी गुजरात के व्यापारी खरीद रहे है। वहीं पिछले पांच वर्षों में बीकानेर में मूंगफली का उत्पादन में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका आंकड़ा देखे तो लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा 8 लाख 70 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। ये ही कारण है कि इस बार भी बीकानेर की मंडी पूरी तरह मूंगफली से अटी पड़ी है। हर रोज डेढ़ लाख बोरी मंडी पहुंच रही है। मूंगफली की बढ़ती डिमांड की वजह से इस बार भाव भी बढे है। पिछली साल की तुलना में प्रति क्विंटल 500 रुपए का मुनाफ हो रहा है। इस बार मूंगफली 5500 से 6500 रुपए क्विंटल के आस-पास बिक रही है।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वा.अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय, बीकानेर

पी.एच.ई.डी. कैम्पस इण्डस्ट्रीयल एरिया के.जी. कॉम्पलेक्स के पास, रानीबाजार, बीकानेर (334001)

क्रमांक-7070-7089 — दिनांक-03.12.2025

Notice Inviting Bid- 126to130/2025-26

Bid for various works are invited to registered interested bidder upto 17.12.2025 at 18.00 hours. Other particulars of bid may be visited on the procurement portal www.sppp.rajasthan.nic.in & "http://eproc.rajasthan.gov.in" of the state. The approximate value of the procurement of Rs. 224.96 Lacs.

NIT NO.	126	127	128	129	130
UBN NO.	PHE2526 WSOB09326	PHE2526 WSOB09328	PHE2526 WSOB09329	PHE2526 WSOB09330	PHE2526 WSOB09331

(नरेश कुमार रैगर)
अधिशाषी अभियंता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग,
जिला ग्रामीण खण्ड-II, बीकानेर

DIPR/C/18043/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड राजगढ (चूरू)

क्रमांक-1903-12 — दिनांक-01.12.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 12/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से तहसील राजगढ जिला चूरू में निर्माण कार्यो के लिए उपयुक्त श्रेणी के सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। आर.पी.डब्ल्यू.ए. 100 की शर्त लागू होगी। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट http://dipr.rajasthan.gov.in/tendrs.asp एवं विभागीय वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in व http://www.pwd.rajasthan.gov.in तथा http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है।

NIB NO. PWD2526A4578, UBN NO. 1. PWD2526WSOB18153, 2. PWD2526WSOB18154

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड राजगढ (चूरू)

DIPR/C/17969/2025

मुख्यमंत्री ने राजस्व से संबंधित विभागों की समीक्षा की

राज्य के सर्वांगीण विकास में राजस्व की भूमिका अहम, वृद्धि के लिए बनाएं लक्ष्य आधारित कार्य योजना

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विभिन्न विकास परियोजनाएं और जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने और जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्बाध संचालन में राजस्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी समर्पित होकर कार्य करें। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आबकारी, परिवहन, कॉमर्शियल टैक्स तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख 69 हजार 627 करोड़ रुपये के राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया था। इसे हासिल करने के क्रम में नवम्बर माह तक कुल 84 हजार 746

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की ।

करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आगामी तिमाही में राजस्व वृद्धि के लिए लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। जीएसटी की दरों में कमी का लाभ उपभोक्ता को मिलना हो सुनिश्चित। शर्मा ने कॉमर्शियल टैक्स विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों से देश और प्रदेश के आमजन को काफी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जीएसटी की दरों में की गई कमी का सीधा लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने फर्जी करदाताओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि कर चोरी रोकने और पारदर्शी कर व्यवस्था लागू करने के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाए। सार्वजनिक परिवहन हेतु नई बसों के हो परमिट जारी मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक परिवहन हेतु नई बसों के अधिक से अधिक परमिट जारी किए जाएं जिससे आमजन को आवागमन में सुविधा होने के साथ ही, राज्य सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति हो।

युवा विचार गोष्ठी में मतदान के महत्व पर चर्चा

जयपुर । राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि एक सचेत मतदाता में स्वयं के कर्तव्य एवं दायित्व का अहसास, राष्ट्र की बुनियादी समत्त्याओं की समझ उनके समाधान के संबंध में मौलिक सोच एवं इस हेतु सक्षम सरकार एवं सुयोग्य जनप्रतिनिधि की सुनिश्चित संकल्पना व परिकल्पना होनी चाहिए। राजेश्वर सिंह मतदान का अधिकार : जनतंत्र का आधार विषयक युवा विचार गोष्ठी को जे. एल. एन. मार्ग स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्ययूट ऑफ गवर्नेस एंड सोशल साइंसेज के सेमिनार हॉल में संबोधित कर रहे थे। इस गोष्ठी में बड़ी संख्या में कनोड़िया महाविद्यालय की छात्राओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में मतदान के महत्य तथा लोकतांत्रिक व्यवत्था में मतदाता के अविकार कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। एक जागरूक मतदाता को न केवल मतदान प्रकिया में अनिवार्य रूप से हिस्सा लेना चाहिए वरन अन्य मतदाताओं को मी प्रेरित करना चाहिए। उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों की नीति, सिद्धान्त कार्यक्रम कार्ययोजना एवं कार्यप्रणात्री का विस्तृत एवं आलोचनात्मक अध्ययन करना चाहिए तथा प्रत्याशियों की व्यक्तिगत व्यवहार, आचरण, जनप्रतिवद्वता, जनसमस्याओं की समझ, तत्यात्मक एवं तार्किक प्रस्तुतीकरण की क्षमता, शैक्षिणक पृष्ठभूमि तथा आपराधिक अतीत न होने पर

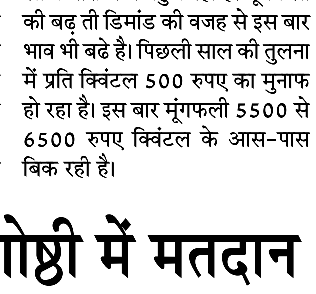

राजेश्वर सिंह ने विचार गोष्ठी को संबोधित किया।

भी ध्यान देना चाहिए। सिंह ने कहा कि जब तक पंचायतीराज संस्थाएं एवं नगरीय निकाय सशवत सक्षम एवं प्रमावी नहीं होगे तथा स्थानीय स्तर पर सुयोग्य नेतृत्व का विकास नहीं होगा तब तक राष्ट्र का सर्वोतोमुखी एवं सर्वसमावेशी विकास असंभव है। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के सशक्तिकरण से ही लोकतंत्र में आमजनता की सहभागिता सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय त्तमत्त्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान समय हो सकेगा।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 64(2) के अंतर्गत सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर (सभी तीनों राजस्थान डिस्कॉम्स की ओर से) ने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष याचिका संख्या 2365/2025 दायर की है। यह याचिका विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 तथा धारा 64 के अंतर्गत, तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग(रा.वि.वि.आ.) द्वारा जारी रा.वि.वि.आ. (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्ते) विनियम, 2025 के संदर्भ में, दोहरी-स्रोत आपूर्ति (Dual-Source Supply) से संबंधित प्रस्तावित टैरिफ संशोधनो की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई है।

याचिका की प्रतियाँ निरीक्षण/अवलोकन हेतु तथा 100 रू के भुगतान पर विक्रय के लिए आयोग कार्यालय में तथा निम्न स्थानों पर उपलब्ध हैं:

1. जयपुर डिस्कॉम का मुख्य कार्यालय- विद्युत भवन, जन पथ, ज्योति नगर, जयपुर।
2. अजमेर डिस्कॉमत का मुख्य कार्यालय- अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, पंचशील नगर, माकरवाली रोड, अजमेर।
3. जोधपुर डिस्कॉम का मुख्य कार्यालय- जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, न्यू पावर हाउस, बसनी, जोधपुर।

याचिका निगमो की वेबसाइट www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/avvnl, www.energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl पर तथा राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग की वेबसाइट www.rerc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

जो व्यक्ति टिप्पणियाँ/सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे सहायक विवरणों सहित तथा रा.वि.वि.आ. (कार्य का सम्पादन) विनियम, 2021 के फार्म-3 में शपथ पत्र के साथ, छह प्रतियों में, प्राप्ति अधिकारी, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, विनियामक भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302001 के कार्यालय में जमा कर सकते हैं, ताकि वे प्राप्ति अधिकारी को 24/12/2025 तक प्राप्त हो जाएँ।

टैरिफ में प्रस्तावित संशोधन

1. **टैरिफ में नई परिभाषा जोडना**
   निम्नलिखित परिभाषा जोड़ी जाएगी:
   "दोहरी-स्रोत आपूर्तिः ऐसी विद्युत आपूर्ति जो दो स्रोतों से प्रदान की जाती है, जिसमें दोनों स्रोतों से विद्युत का एक साथ या स्टैंडबाय उपयोग किया जा सकें।"
2. **HT/EHT टैरिफ अनुसूचियों में नोट जोड़ना**
   टैरिफ की सभी HT और EHT टैरिफ अनुसूचियों में निम्नलिखित नोट जोड़ा जाएगा:
   "नोटः जो उपभोक्ता दोहरी-स्रोत आपूर्ति का लाभ उठाता है, चाहे वह एकसाथ उपयोग करे या स्टैंडबाय उपयोग करें, उसे संबंधित टैरिफ श्रेणी के लागू स्थाई शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा।"

राज.संवाद/सी/25/15323 — जेपीआर 3095 (2025) — अधीक्षण अभियंता (रेगुलेशन)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा-2025 की उत्तरतालिका बाबत्

बोर्ड द्वारा दिनांक 16.11.2025 को आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा-2025 (कक्षा-10 व कक्षा-12) की अस्थाई उत्तरतालिका बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को इस उत्तरतालिका के किसी प्रश्न के उत्तर में आपत्ति है तो वे बोर्ड के ई-मेल आई.डी. bserobjections@gmail.com पर मय प्रमाण के दिनांक 15.12.2025 तक निर्धारित प्रारूप में आपत्ति दर्ज करावें। इसके उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक द्वारा प्राप्त आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी।

सचिव